

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 87 / 2022

उनवान

- 1 श्री हीरालाल पिता बगतावर खटी नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
- 2 देउ पत्नि हीरालाल खटीक नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—प्रार्थीगण

बनाम

- 1 श्री छगन पिता हरलाल जाट नि० सियार तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
- 2 बरजी पत्नी उदा रेगर नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
- 3 राजस्थान राज्य जारिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 12.05.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 15.06.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सियार प.ह. आमलीगढ भू०अ०नि० मंगरोप तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 267 की आ.न. 696/2 रकबा 0.3794 है०, व खाता संख्या 268 की आ.न. 2 रकबा 0.2529 है० एवं ग्राम मंगरोप प.ह. मंगरोप भू.अ.नि. मंगरोप खाता संख्या 329 की आ. न. 4333/77 रकबा 4562 है०, आ.न. 4334/80 रकबा 0.3414 है० भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पक्षीसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य पश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा राक्षी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22.06.2022 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 से 02 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसी भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम सियार प.ह. आमलीगढ भू०अ०नि० मंगरोप तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 267 की आ.न. 696/2 रकबा 0.3794 है०, व खाता संख्या 268 की आ.न. 2 रकबा 0.2529 है० एवं ग्राम मंगरोप प.ह. मंगरोप भू.अ.नि. मंगरोप खाता संख्या 329 की आ.न. 4333/77 रकबा 4562 है०, आ.न. 4334/80 रकबा 0.3414 है० भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 600/-पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 12.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फौसल शुमार होकर दाखिल दपतर रहे।

(अजीत सिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ